न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 79/2020
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 12.07.2024

करण सिंह पुत्र फूल सिंह दत्तक पुत्र गोविन्द सिंह, जाति राव निवासी पावसु तहसील फागी हाल निवासी 62 ए, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद नगर, 200 फीट बाईपास अजमेर रोड जयपुर, राज०।

वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज०।

प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री उदयसिंह चौधरी वकील वादी

वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांक:– 12.07.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 27 के आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 348 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 352 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 540 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पांवसू तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका सम्पूर्ण का वादी एकमात्र काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है तथा लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। वादी के प्राकृतिक पिता का नाम फूल सिंह है तथा वादी गोविन्द सिंह के गोद चले जाने के कारण उसके दत्तक पिता का नाम गोविन्द सिंह हैं, वादी को अपने दत्तक पिता गोविन्द सिंह से उक्त विवादित आराजीयात प्राप्त हुयी है, जिसमें वादी का नाम करण सिंह दत्तक पुत्र गोविन्द सिंह दर्ज किया गया हैं। चूंकि उक्त आराजीयात वादी को अपने दत्तक पित्ता से विरासत में प्राप्त हुयी है, इसलिये उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी की वल्दियत दत्तक पिता गोविन्द सिंह दर्ज है, जबकि वादी के आधारकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि में वादी की वल्दियत उसके प्राकृतिक पिता फूल सिंह का नाम दर्ज हैं, इस प्रकार वादी की वल्दियत राजस्व रिकार्ड एवं पहचान दस्तावेजात में प्राकृतिक एवं दत्तक पिता के अनुसार अलग–अलग दर्ज है, इसलिये वादी को काफी असुविधाओं का सामना करना पड रहा है एवं वादी को राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की सुविधायें

लगातार...............2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

प्राप्त नही कर पा रही हैं। उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर वादी उक्त राजस्व रिकार्ड की वर्तमान प्रविष्टि को हजफ फरमायी जाकर निमन. प्रकार से प्रविष्टि दर्ज कराना चाहता है :– "करण सिंह पुत्र फूल सिंह दत्तक पुत्र गोविन्द सिंह, जाति राव निवासी पावसु तहसील फागी हाल निवासी 62 ए, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद नगर, 200 फीट बाईपास अजमेर रोड जयपुर, राज०। दिनांक 21/09/2020 को वादी ने किसान क्रेडिट. कार्ड बनवाने के लिये जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस पर वादी ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार एवं पटवार हल्का ने दुरूस्ती इन्द्राज करने से इन्कार कर दिया, जिससे वादी को उक्त वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जानां आवश्यक हुआ है। विवादित आराजीयात एंव पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 बाद तामिल उपस्थित नहीं आये। प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस एकतरफा सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस मे वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072 – 2075 वाके ग्राम पांवसू के खाता सं0 27 मे वादी का नाम करणसिंह द.पु. गोविन्दसिंह कौम राव सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, के आधार पर न्यायालय वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 27 के आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 348 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 352 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 540 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पांवसू तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है, आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन करणसिंह द.पु. गोविन्दसिंह कौम राव के स्थान पर करण सिंह पुत्र फूल सिंह

लगातार.....................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

दत्तक पुत्र गोविन्द सिंह, जाति राव निवासी पांवसु तहसील फागी हाल निवासी 62 ए, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद नगर, 200 फीट बाईपास अजमेर रोड जयपुर राज. दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। वादी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार म)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

करण सिंह बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 79/2020
निर्णय दिनांक 12.07.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

करण सिंह पुत्र फूल सिंह दत्तक पुत्र गोविन्द सिंह, जाति राव निवासी पावसु तहसील फागी हाल निवासी 62 ए, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद नगर, 200 फीट बाईपास अजमेर रोड जयपुर, राज०।

वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज०।

प्रतिवादी

::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मु0न0:– 79/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी उदयसिंह चौधरी हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 27 के आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 348 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 352 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 540 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पांवसू तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है, आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन करणसिंह द.पु. गोविन्दसिंह कौम राव के स्थान पर करण सिंह पुत्र फूल सिंह दत्तक पुत्र गोविन्द सिंह, जाति राव निवासी पांवसु तहसील फागी हाल निवासी 62 ए, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद नगर, 200 फीट बाईपास अजमेर रोड जयपुर राज दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। वादी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज -----X------ मुबलिग --X--- बाबत --X--- खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह --X------ फीसदी. --X--- सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ---X---- का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.07.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू
ओहदा..............

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबुत			स्टाम्प वजह सबुत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बबत इजराय			बबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू